International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
www.advancedjournal.com
Volume 1; Issue 2; February 2016; Page No. 78-79

ब्रिटिश भू-राजस्व नीति और उसका प्रभाव

Rajnish Kumar Singh
Department of History, SS Sinha College, Aurangabad, Bihar, India

प्रस्तावना

बंगाल में कंपनी की सत्ता स्थापित होने एवं दीवानी प्राप्त होने के पश्चात अंग्रेजी प्रशासन ने भू-राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। इसलिए प्रचलित भू-राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया।

कार्नवालिस जब भारत आया तब उसने भू राजस्व से संबंधित अनिश्चितता को समाप्त किया और स्थायी बदोवस्त की व्यवस्था लागू की। 1970 में कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को 10 साल के लिए लागू किया बाद में 1793 में इसे स्थायी कर दिया। इसके अन्तर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास का उत्तरी जिला तथा उत्तर प्रदेश का वाराणसी का क्षेत्र शामिल था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जमीनदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकार किया गया। और निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें जमीन दे दी गयी। ऐसा नहीं करने पर जमीन पर से इनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता था। और इनकी जमीदारी निलाम कर दी जाती थी। किसानों की इनके रैयतों के रूप में रख दिया गया। लगान निर्धारण के क्रम में जमीनदारों को लगान का 11/10 भाग कंपनी के कोष में और 1/11 भाग स्वयं के लिए रखना पड़ता था।

स्थायी बंदोबस्त में गुण एवं दोष दोनों ही विद्यमान था। इससे कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और कंपनी की आर्थिक अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो गयी तथा कंपनी की आय सदा के लिए निश्चित हो गयी जिससे अपनी योजनाये निर्धारित करने में कम्पनी को सहूलियत हुई। दूसरे कंपनी को इस व्यवस्था से एक नया जमीदार वर्ग का साथ प्राप्त हुआ जो शासन सत्ता में अंग्रेजो के लिए सच्चे हिमायती और वरदान साबित हुये। तीसरे इस व्यवस्था से कृषि का विकास हुआ। किसान पैदावार बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। लेकिन इस व्यवस्था के दोष भी आगे जाकर उजागर हुआ। कंपनी को आर्थिक घाटा उठाना पड़ा क्योंकि लगान की राशि तय करते समय जमीन का सही नाप नही किया गया था। दूसरे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। जमीनदार इनसे मनमाना राशि वसूलते थे। जीमनदारों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा निश्चित समय में लगान नहीं देने पर कई जमीनदारों की जमीन नीलाम कर दी गयी।

स्थायी बंदोवस्थ के अलावा दक्षित भारत में मुख्य रूप से बम्बई और मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इसके तहत किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान समझौता किया गयां मुनरों ने इसे मद्रास में लागू किया जबकि एकफिन्स्टन महोदय ने बम्बई में लागू किया। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी माना गया तथा लगान उपज का 50 प्रतिशत भाग था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत की 51 प्रतिशत भूमि शामिल थी।

इसके अलावा ब्रिटिश भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश व मध्य भाग में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गयी। यह व्यवस्था जमीनदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप थी। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल (गांव या जागीर) के अनुसार निश्चित किया गया। इसलिये यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। इस पद्धति के जन्मदाता हाल्टमैकेन्जी थे। इसमें लगान की रशि 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक निर्धारित की गयी थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तद प्रदेश, मध्य प्रान्त और पंजाब प्रान्त आते थे जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30 प्रतिथत था।

इस प्रकार अंग्रेजी भूराजस्व नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में महान परिवर्तन हुआ। समाज में जीमनदार एवं साहूकार प्रधान बन गये भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बढ़ गयी। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ एवं जमीन पर बोझ बढ़ गया। प्रो॰ विपिन चन्द्र के अनुसार ''अंग्रेजों ने जीमन को एक माल का रूप देकर जिसे खुलेआम खरीदा था बेचा जा सकता था, 'देश की तत्कालीन भूमि-व्यवस्थाओं में एक बुनियादी परिवर्तन किया। भारतीय गांवों की निरन्तरता हिल गयी। वस्तुतः ग्रामीण समाज का पूरा ढ़ांचा हिलने लगा। अतः कही नं कही आज भी यह व्यवस्था शोध का विषय बनी हुई हैं।

References

1. Baden-Powll- The land System of British India.
2. R.C. Dutt- Economic History of India
3. I.A. Drummond- British Economic Policy and Empire.